GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)
*****

नई दिल्ली, दिनांक/New Delhi, Dated: 30.10.2024

शाखा फाइल सं/Branch file no. 2024/TG-1/19/377/RTI

सं./No. MORLY/R/E/24/05565/1

Sh. Panaj Maru
3/10 Adarsh Gandh Gram Colony,
Nagda, Madhya Pradesh
Pin: 456335

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई जानकारी।

Subject: - Information sought under Right to Information Act, 2005.

प्रिय महोदय/Dear Sir,

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मांगने के संबंध में इस कार्यालय में दिनांक 04.10.2024 को प्राप्त अपने पत्र का अवलोकन करे।

Kindly refer to your application which was received in this office on 004.10.2024 seeking information under the Right to Information Act, 2005.

इस सीपीआईओ से संबंधित मद पर उपलब्ध जानकारी संलग्न है।

Available information on the item concerning this CPIO is enclosed.

बहरहाल, यदि आप सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार 30 दिन के भीतर **अपीलीय प्राधिकारी, कार्यकारी निदेशक यात्री विपणन, रेलवे बोर्ड, द्वारा आर टी आई सेल, कमरा नं० 5, भूतल, रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली -110001** को अपील कर सकते है।

However, in case you are not satisfied with the information, you may prefer an appeal within 30 days as provided in the Act to the **Appellate Authority, EDPM, Railway Board, through RTI Cell, Room No. 5, Ground Floor, Rail Bhawan, Raisina Road, New Delhi-110001.**

संलग्न: यथोक्त।
DA: As above

Signed by
Sanjay Manocha
Date: 30-10-2024 11:15:56

(Sanjay Manocha)
CPIO
Director Passenger Marketing-II
Ph. No.:011-23047367
Email id: manocha.421sanjay@gov.in
4th Floor, Room No: 415-A

Sub: Information sought for by Sh. Panaj Maru under RTI Act 2005.
Ref: No. MORLY/R/E/24/05565/1 dated 02.10.2024

File No. 2024/TG-I/19/377/RTI

S. No.	Item No(s)	Information sought for by the party	Ministry's response(reply text)
1.	4	Provide the copy of circular issued in which the number of seats reserved for the persons with disabilities in various types of trains.	Available information is enclosed.

Authenticated by

Aniketh

(Aniket Pal)
SO/T.G.-I
Railway Board

Reg. Part

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

No. 2023/TG-I/11/02 **New Delhi, dated 06.03.2024**

Principal Chief Commercial Managers, All Zonal Railways.	**MD, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi**

(Commercial Circular No. 1A of 2024)

(Corrigendum to CC No. 01 of 2024)

Sub: Earmarking of reservation quota for persons with disabilities (PwD) in reserved Second Sitting (2S)/ air-conditioned Chair Car (CC).

Please refer to this office letter of even number dated 29.02.2024 (Commercial Circular no 01 of 2024) on the subject quoted above. In this regard, it is informed that 'Commercial Circular no. 01 of 2024' may be read as 'Commercial Circular no. 1A of 2024'.

Necessary instructions may be issued to all concerned accordingly.

6/3/24

(Rajini Tete)
Deputy Director/TG-I, Railway Board
Phone No. 011-23047370
e-Mail ID- rajini.tete@gov.in
Room No. 534-D, 5th Floor,

---

o/c 07/03/24

9991/2024

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

No. 2023/TG-I/11/02 **New Delhi, dated 29.02.2024**

Principal Chief Commercial Managers, All Zonal Railways.	**MD, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi**

(Commercial Circular No. 01 of 2024)
(Corrigendum to CC No. 07 of 2023)

Sub: Earmarking of reservation quota for persons with disabilities (PwD) in reserved Second Sitting (2S)/ air-conditioned Chair Car (CC).

Please refer to this office letter of even number dated 31.03.2023 (Commercial Circular no 07 of 2023) wherein it was advised that the following reservation quota should be earmarked for Persons with Disabilities (PwDs) and their attendant in those Mail/Express trains in which PwDs have been allowed to book reserved ticket on concession:-

i. Four berths in Sleeper class (two lower and two middle).

ii. Two berths in 3AC (one lower and one middle).

iii. Two berths in 3E class (one lower and one middle) (in those trains in which there is no 3A class and only 3E class coaches have been attached).

iv. Four berths in SLRD coach of Garib Rath Express trains on full fare. (two lower and two upper)

v. Two seats in reserved Second Sitting (2S)/ air-conditioned Chair Car (CC) in those trains which have more than two coaches of these classes.

1.1 The matter has been reviewed and it has now been decided that the following reservation quota meant for PwDs should be earmarked for PwDs in all reserved Mail/Express trains including Rajdhani/Shatabdi type trains viz. Rajdhani, Duronto, Vande Bharat, Humsafar, Gatimaan, Special trains on special fare etc. irrespective of the fact whether concessional fare facility is available to PwDs in such trains or not:-

i. Four berths in Sleeper class (two lower and two middle).
ii. Four berths in 3E or 3A class (two lower and two middle).
(The class out of these two i.e. 3E/3A in which quota is to be earmarked can be decided by zonal Railway concerned keeping in view the number of coaches of that class available in the train.)

iii. Four berths in SLRD coach of Garib Rath Express trains.
iv. Four seats in reserved Second Sitting (2S)/ air-conditioned Chair Car (CC) in those trains which have more than two coaches of these classes (except Vande Bharat Express trains).
v. Four seats in Vande Bharat express trains.

Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड/Railway Board
Issued
06/03/24.

d/c

/2024

(Specially designed Seat no. 40 in coach no. C1 and C7 in case of 8 car trains and seat no. 40 in coach no. C1 and C14 in case of 16 car trains for PwDs and one seat each adjacent to these specially designed seats for the escorts of PwDs)

1.1.1 Concessional fare facility shall be governed by the extant guidelines issued from time to time.

1.1.2 With a view to avoid misuse of this provision, facility of booking ticket under this quota online will be available only to those PwDs who have been issued unique ID card by the Railways. For booking tickets across the counter, this facility shall be available on production of unique ID card issued by the Railways or the copy of concessional certificate in prescribed proforma as per existing Railway Rules applicable for issuing concessional tickets. This facility will be available only at those reservation counters where concessional ticket booking facility is available.

1.2 CRIS will make necessary modifications in the software accordingly to ensure verification of unique ID card issued to PwDs by the Railways even in those trains where concessional fare facility is not available. Whenever an eligible PwD as per Railway Rules books a ticket against this quota in a train in which concession is not admissible to him/her, a pop-up message should be displayed informing that concessional fare facility is not available in this train. CRIS shall also ensure that whenever a PwD books a ticket in Vande Bharat express train, he/she should be booked on the specially designed seat no. 40 in coach no. C1/C7/C14, if available and their escort should be booked on the seat adjacent to these specially designed seats earmarked for PwDs. In case both of the specially designed seats earmarked for PwDs in Vande Bharat express trains have been booked by PwDs but one or both of the seats earmarked for their escort are vacant, the vacant seat(s) can be allotted to a PwD.

1.3 Wide publicity about this provision should be given through all available means for information of general public.

2. Necessary instructions may be issued to all concerned accordingly.

Signed by
Sanjay Manocha
Date: 29-02-2024 17:54:49

(Sanjay Manocha)
Director Passenger Marketing -II
Railway Board
Ph. No.:011-23047367
Email id: manocha.421sanjay@gov.in
4th Floor, Room No: 415-A
Rail Bhawan, Raisina Road,
New Delhi-110001.

भारत सरकार (GOVERNMENT OF INDIA)
रेल मंत्रालय (MINISTRY OF RAILWAYS)
रेलवे बोर्ड (RAILWAY BOARD)

सं.2023/टीजी-I/11/02 नई दिल्ली, दिनांक 06.03.2024

प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक सभी क्षेत्रीय रेलें।	प्रबंध निदेशक, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली

(2024 का वाणिज्य परिपत्र सं. 1ए)

(2024 के वाणिज्य परिपत्र सं. 01 का शुद्धि पत्र)

विषय: आरक्षित सेकेंड सिटिंग (2एस)/वातानुकूलित कुर्सीयान (सीसी) में दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए आरक्षण कोटा चिह्नित करना।

कृपया ऊपर उद्धृत विषय पर इस कार्यालय के दिनांक 29.02.2024 के समसंख्यक पत्र (वाणिज्य परिपत्र संख्या 01/2024) का संदर्भ लें। इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि '2024 का वाणिज्य परिपत्र सं.01' को '2024 का वाणिज्य परिपत्र सं. 1ए' के रूप में पढ़ा जाए।

तदनुसार सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

(रजनी टेटे)
उप निदेशक/टीजी-I, रेलवे बोर्ड
दूरभाष : 011-23047370
ई-मेल आईडी - rajni.tete@gov.in
कमरा सं. 534-डी, पांचवा तल,

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

सं.2023/टीजी-I/11/02 **नई दिल्ली, दिनांक 29.02.2024**

प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, **सभी क्षेत्रीय रेलें।**	**प्रबंधक निदेशक, क्रिस,** **चाणक्यपुरी, नई दिल्ली**

(2024 का वाणिज्य परिपत्र सं. 1)

(2023 का वाणिज्य परिपत्र सं. 07 का शुद्धि पत्र)

विषय: आरक्षित सेकेंड सिटिंग (2एस)/वातानुकूलित कुर्सीयान (सीसी) में दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए आरक्षण कोटा चिह्नित करना।

कृपया इस कार्यालय के दिनांक 31.03.2023 के समसंख्यक पत्र (वाणिज्य परिपत्र संख्या 07/2023) का संदर्भ लें, जिसमें यह बताया गया था। कि उन मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों, जिनमें दिव्यांगजनों को रियायती दर पर आरक्षित टिकट बुक कराने की अनुमति दी गई है, में दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) और उनके परिचारकों के लिए निम्नानुसार आरक्षण कोटा चिह्नित किया जाना चाहिए:-

i. शयनयान श्रेणी में चार बर्थ (दो निचली और दो मध्य)।
ii. 3 एसी में दो बर्थ (एक निचली और एक मध्य)।
iii. 3ई श्रेणी में दो बर्थ (एक निचली और एक मध्य) (उन गाड़ियों में जिनमें 3ए श्रेणी नहीं है और केवल 3ई श्रेणी के कोच लगाए गए हैं)।
iv. गरीब रथ एक्सप्रेस गाड़ियों के एसएलआरडी कोच में पूर्ण किराये पर चार बर्थ। (दो निचली और दो ऊपरी)
v. उन गाड़ियों में आरक्षित सेकेंड सिटिंग (2एस)/वातानुकूलित कुर्सीयान (सीसी) में दो सीटें जिनमें इन श्रेणियों के दो से अधिक कोच हैं।

1.1 मामले की समीक्षा की गई है और अब यह निर्णय लिया गया है कि राजधानी/शताब्दी जैसी गाड़ियों जैसे राजधानी/शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, हमसफर, गतिमान, विशेष किराए वाली गाड़ियों आदि सहित सभी आरक्षित मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में दिव्यांगजनों के लिए निम्नलिखित आरक्षण कोटा चिह्नित किया जाना चाहिए, भले ही ऐसी गाड़ियों में दिव्यांगजनों को रियायती किराये की सुविधा उपलब्ध हो या नहीं:-

i. शयनयान श्रेणी में चार बर्थ (दो निचली और दो मध्य).

ii. 3ई या 3ए श्रेणी में चार बर्थ (दो निचली और दो मध्य).
(इन दोनों श्रेणी में से जिस श्रेणी अर्थात् 3ई/3ए में कोटा चिह्नित किया जाना है, उसका निर्णय संबंधित क्षेत्रीय रेल द्वारा गाड़ियों में उपलब्ध उस श्रेणी के कोचों की संख्या को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है।

iii. गरीब रथ एक्सप्रेस गाड़ियों के एसएलआरडी कोच में चार बर्थ।

iv. उन गाड़ियों में आरक्षित सेकेंड सिटिंग (2एस)/वातानुकूलित कुर्सीयान (सीसी) में चार सीटें जिनमें इन श्रेणियों के दो से अधिक कोच हैं (वंदे भारत एक्सप्रेस गाड़ियों को छोड़कर)।

v. वंदे भारत एक्सप्रेस गाड़ियों में चार सीटें।.

(दिव्यांगजनों के लिए 8 डिब्बों वाली गाड़ियों में कोच सं. सी1 और सी7 में विशेष रूप से डिजाइन की गई सीट सं. 40 और 16 ड़िब्बों वाली गाड़ियों में कोच सं. सी1 और सी14 में सीट सं. 40 और दिव्यांगजनों के अनुरक्षकों के लिए इन विशेष रूप से डिजाइन की गई सीटों के बगल में एक-एक सीट)

1.1.1 रियायती किराया सुविधा समय-समय पर जारी मौजूदा दिशा-निर्देशों द्वारा शासित होगी।

1.1.2 इस प्रावधान के दुरूपयोग को रोकने के लिए, इस कोटे के तहत ऑनलाइन टिकट बुक करने की सुविधा केवल उन्हीं दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध होगी, जिन्हें रेलवे द्वारा विशिष्ट आईडी कार्ड जारी किया गया है। काउंटर पर टिकट बुक करने के लिए, यह सुविधा रेलवे द्वारा जारी विशिष्ट आईडी कार्ड या रियायती टिकट जारी करने के लिए मौजूदा रेल नियमों के अनुसार निर्धारित प्रोफ़ार्मा में रियायती प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत करने पर उपलब्ध होगी।

यह सुविधा केवल उन्हीं आरक्षण काउंटरों पर उपलब्ध होगी जहां रियायती टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है।

1.2 क्रिस उन गाड़ियों में भी रेलवे द्वारा दिव्यांगजनों को जारी किए गए विशिष्ट आईडी कार्ड का सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए सॉफ्टवेयर में तदनुसार आवश्यक संशोधन करेगा जहां रियायती किराया सुविधा उपलब्ध नहीं है। रेल नियमों के अनुसार जब भी कोई पात्र दिव्यांगजन किसी ऐसी गाड़ी में इस कोटे के तहत टिकट बुक करता है जिसमें उसे रियायत अनुमेय नहीं है, तो एक पॉप-अप संदेश प्रदर्शित होना चाहिए जिसमें सूचित किया जाए कि इस गाड़ी में रियायती किराया सुविधा उपलब्ध नहीं है। क्रिस यह भी सुनिश्चित करेगा कि जब भी कोई दिव्यांगजन वंदे भारत एक्सप्रेस गाड़ी में टिकट बुक करता है तो उसे कोच सं. सी1/सी7/सी14 में विशेष रूप से डिजाइन की गई सीट सं. 40,यदि उपलब्ध हो और उनके अनुरक्षक को दिव्यांगजन के लिए चिह्नित इन विशेष रूप से डिजाइन की गई सीट के पास वाली सीट पर बुक किया जाना चाहिए। यदि वंदे भारत एक्सप्रेस गाड़ियों में दिव्यांगजनों द्वारा बुकिंग करा ली गई है परंतु उनके अनुरक्षक के लिए निर्धारित एक या दोनों सीटें खाली हैं तो दिव्यांगजन/जनों को खाली सीट/सीटें दी जा सकती हैं।

1.3 आम जनता की जानकारी के लिए सभी उपलब्ध माध्यमों से इस प्रावधान का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए।

2. तदनुसार सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

(संजय मनोचा)
निदेशक/यात्री विपणन-II,
फोन नं. 011-23047367
ईमेल आई डी -manocha.421sanjay@gov.in
कमरा नं. 415-ए, चौथी मंजिल
रेलवे बोर्ड